रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22022023-243783
CG-DL-W-22022023-243783

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 12—फरवरी 18, 2023, शनिवार/ माघ 23—माघ 29, 1944

No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2023, SATURDAY/ MAGHA 23—MAGHA 29, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 13.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालयों में कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रपति एतद्वारा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

	(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment in Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar General, India -Chairman; 2. Additional Registrar General, India or Director or Deputy Secretary, Office of the Registrar General, India -Member; 3. Under Secretary, Office of the Registrar General, India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A 51011/2/2021-Ad.V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में निदेशक (पुस्तकालय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग, निदेशक (पुस्तकालय), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक (पुस्तकालय)	1(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर 13 (123100-215900/- रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**आवश्यक** (क) अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री **(ख) अनुभव:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में बारह वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

	वांछनीय (क) अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी से भिन्न किसी भी आधुनिक यूरोपीय भाषा में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या पाठ्यक्रम। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। (ख) अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधी क्रियाकलापों का कम्प्यूटर पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 – अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कानूनी संगठन या स्वाशासी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 12 या उसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; तथा

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की प्रवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) विशेष सचिव/अपर सचिव, नीति आयोग - अध्यक्ष; (2) अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति, नीति आयोग (विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर) - सदस्य; (3) नीति आयोग में प्रशासन के प्रभारी सलाहकार या संयुक्त सचिव-सदस्य।	चयन के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/1/2021-प्रशा.II]

दिनेश कोच्छड़, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI) AAYOG

New Delhi, the 2nd February, 2023

G.S.R. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Chief Librarian-Cum-Documentation Officer) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Library) in the NITI Aayog, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the NITI Aayog, Director (Library), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.-The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non-Selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director (Library)	1(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group, 'A'	Pay Level 13 (Rs.123100-215900/-) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding fifty years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential** (A) Qualification: Masters degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. (B) Experience: Twelve years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution **Desirable** (A) Qualifications: (i) Certificate or Diploma or	Not applicable.	One year.	Deputation including Short Term Contract failing which by Direct Recruitment.

	Course in any modern European Language other than English from a recognised University or Institute. (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. (B) Experience: One year experience of computerizing Library activities in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution. **Note 1.** - Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.** - The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territory or Statutory Organisation or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or Recognised University or Recognised Research Institution: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

Note 1. - The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2. - The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Special Secretary/Additional Secretary, NITI Aayog – Chairman; (2) Chairman, Library Committee, NITI Aayog(Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary level) – Member ; (3) Adviser or Joint Secretary in charge of Administration in the NITI Aayog – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion of selection.

[F. No. A-12018/1/2021-Admin.II]

DINESH KOCHHER, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.